न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2026(GCMS 2026/8)

मोहन लाल पुत्र श्री मानाराम निवासी वार्ड नं. 07, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94173 98430)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

29.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मोहन लाल को बार बार आवाज् लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोहन लाल ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी :

वाके चक 18 ए एस तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 230/478 के 25 बीघा अनकमाण्ड आवंटन आवेदन संख्या 22/649 दिनांक 20.04.1978 की आवंटन मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2026/929 दिनांक 09.02.2026 [illegible] का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 78 / 2025
(GCMS No. 2025/352)
शिराज अनेजा बनाम प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, श्रीगंगानगर

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री मोहनलाल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा कार्यालय हाजा में दिनांक 25.09.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे कार्यालय हाजा के पत्रांक राजस्व / आर.टी.आई. / 2025 / 775 दिनांक 06.10.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के संबंधित लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उप अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को प्रेषित कर प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयानगर ने अपील को उक्तानुसार जवाब दिया है, जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने प्रार्थी / अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी उप अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को स्थानान्तरित कर दिया था और प्रार्थी को भी सूचित किया था। इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर** ने अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उप अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं** अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible]

यह आदेश आज दिनांक [illegible] 2026 [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर